



बिहार सरकार  
फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र  
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)  
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - बंकटवा

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2024/582873

दिनांक : 16/10/2024

प्रमाणित किया जाता है कि चन्दन कुमार(Chandan Kumar), पिता-उधो प्रसाद यादव(Udho Prasad Yadav), माता-लीलावती देवी(Lilawati Devi), ग्राम/मोहल्ला-जोलहगांव, पोस्ट-छौड़ादानो, थाना- जितना, प्रखंड-बंकटवा, अनुमंडल-सिकरहना, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य बिहार यादव , अहीर समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 22 पर अंकित है। अतः चन्दन कुमार, पुत्र- उधो प्रसाद यादव, माता-लीलावती देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : बंकटवा

दिनांक : 16/10/2024



राजस्व अधिकारी बंकटवा  
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।  
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।